प्र.क्र. 62/19 सोहनलाल बनाम मोहनलाल

29.1.21

वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी नं. 1 की उपस्थिति। को आवेदन लगवाई गयी की प्रार्थी नं. उपस्थित रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र गया हुआ। वकील प्रार्थी को पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण अप्रार्थी नं. 2 की ओर से दिनांक 24.9.19 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है दिनांक 24.9.19 को प्रार्थी के अधिवक्ता निजी कारणों से बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका है इसलिये प्रकरण को पुनः रेस्टोरेशन किया जाना चाहिये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित आधार पर प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 25/9/19 स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्र. 83/2019 सोहनलाल बनाम मोहनलाल में पारित आदेश दिनांक 24.9.19 निरस्त किया जाता है मूल पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे। प्रार्थना पत्र ... पत्रावली के साथ संलग्न होकर मूल पत्रावली के

अपर कलक्टर, नागौर